



न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राज

प्रकरण : संख्या -

शीर्षक

बनाम

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	पास्त है कि वन प्रतिवादीगण की कौत हो चुकी है। अधि. वादी को आदेशित किया जाता है कि प्रति. व्य. 7-10 के कां. मु. पान्च. पेश करे। पत्रा. वास्तव तामील से कि व्य. 1-6, 11 एवं पेश होने का मु. पान्च पत्र प्रति. व्य. 7-10 हेतु कि 14.10.24 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजमन्द
14-10-24	प्रतिवादी अधिका उपस्थिति की वीस गरी राज का भ्रमण/अ वली पूर्व आदेश के अनुसार दिनांक 7-1-25 को पेश हो।
	07.01.25: पत्रा. पेश हुई। अधि. वादी अनु. वादी अनु. अधि. वादी एवं वादी को रोक कर कर पार आवाज दिलाई गई। फिर भी कोई उप. नहीं हुआ। अतः वादी का यह वाद अहम हो/गिरी एवं अहम पेशी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रा. कैबल सुमाव होकर नम्बर को देमी हो।